आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर व गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारी सहित

20/01/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-49/2023-2024

(1) रितु पाहन
(2) रोहित मुण्डा .... आवेदकगण

बनाम्

(1) बाबुलाल लोहार
(2) हरिलाल लोहार
(3) जीवलाल लोहार .... विपक्षीगण

आदेश

आवेदकगण (1) रितु पाहन, पिता–स्व० बैजनाथ पाहन, वो (2) रोहित मुण्डा, पिता–स्व० बिरसा पाहन, सभी निवासी ग्राम–महिलौंग, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि मेरी खतियानी जमीन विपक्षीगण (1) बाबुलाल लोहार (2) हरिलाल लोहार (3) जीवलाल लोहार सभी के पिता–स्व० धनेश्वर लोहार, सभी निवासी ग्राम–महिलौंग, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची के द्वारा छल प्रपंच कर जमीन हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
महिलौंग	176	134	935	04 डी०
			936	06 डी०
कुल				**10 डी०**

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में बिरसा पाहन वल्द सोमरा पाहन के नाम से कायमी दर्ज है।

आवेदकगण (1) रितु पाहन, पिता–स्व० बैजनाथ पाहन, वो (2) रोहित मुण्डा, पिता–स्व० बिरसा पाहन, खतियानी रैयत के वंशज है एवं आदिवासी समाज के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए

M:-J 20/1/25

कृ०पृ०उल्टे

20/1/25

कारणपृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है।

आवेदकगण अपने शपथ पत्र एवं वंशावली में कहते हैं कि वर्णित भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में बिरसा पाहन वल्द सोमरा पाहन के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत बिरसा पाहन वल्द सोमरा पाहन अपने पीछे सुखलाल पाहन को छोड़ गये। सुखलाल पाहन, अपने पीछे सोमरा पाहन को छोड़ गये है। सोमरा पाहन अपने पीछे बैजनाथ पाहन, बिरसा पाहन एवं बंधन पाहन को छोड़ गये। बैजनाथ पाहन अपने पीछे रितु पाहन (आवेदक) को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बिरसा पाहन अपने पीछे रोहित पाहन (आवेदक), रंजीत पाहन को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। आवेदकगण के जमीन को विपक्षीगण (1) बाबुलाल लोहार (2) हरिलाल लोहार (3) जीवलाल लोहार सभी के पिता–स्व० धनेश्वर लोहार सभी निवासी ग्राम–महिलौंग, थाना–टाटीसिलवे, ज़िला–राँची के द्वारा छल प्रपंच द्वारा अवैध रूप से दखल कर लिये हैं।

आवेदकगण अपने आवेदन में कहते हैं कि विपक्षीगण करीब 06 वर्ष पूर्व से मेरी भूमि पर दखल–कब्जा कर लिए हैं। आवेदकगण की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किया गया। गवाह सं०–01 आवेदक स्वयं रितु पाहन, पिता–स्व० बैधनाथ पाहन, अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि आवेदक खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी है। जिस पर विपक्षीगण जबरन जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। लगान रसीद खतियानी रैयत सोमरा पाहन के नाम से चल रहा है। विपक्षी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 का उल्लंघन किया गया है। अतः यह जमीन आवेदक को वापस होनी चाहिए। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि खतियानी रैयत आवेदक के परदादा हैं। इस जमीन पर वर्ष 2021–22 में रितु पाहन वगै० ने CrPC धारा–144 का केस किया था। 07 से 08 वर्ष पूर्व पंचायत हुआ था, परन्तु निर्णय नहीं हो पाया। गवाह सं०–02 आवेदक स्वयं रोहित मुण्डा, पिता–स्व० बिरसा पाहन अपने शपथ पत्र में कहते है कि वर्णित भूमि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। मैं खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी का वंशज हूँ, तथा लगान रसीद भी खतियानी रैयत सोमरा पाहन के नाम पर चल रहा है। जिसे विपक्षीगण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 का उल्लघंन कर जमीन को जबरन कब्जा कर लिए हैं, जो वापस होना

Mi- 20/1/25

कृ०पृ०उल्टे

20/1/25

चाहिए। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि जमीन बदलेन का जिक्र करते हैं, किंतु उस कागजात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। गवाह सं०—03 राजेश मिर्धा कहते हैं कि खतियान में बिरसा पाहन वल्द सोमरा पाहन कौम मुण्डा नाम दर्ज है। आवेदक की ओर से ऑनलाईन खतियान की कॉपी तथा अंचल रसीद दाखिल किया गया है।

विपक्षीगण संख्या 01, 02 एवं 03 कि ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। कारण पृच्छा में कहते है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—71"A" के अंतर्गत वर्णित भूमि पर यह वाद चलने योग्य नहीं है एवं पोषणीय नहीं है। आर० एस० खतियान के खाता सं०—134 के खतियान में बिरसा पाहन, पिता—सोमरा पाहन नाम दर्ज है। वर्णित भूमि धनेश्वर लोहार को 1958 ई० बन्दोबस्त किया गया है, तथा उसपर दखल—कब्जा कर घर—मकान बनाकर रह रहें हैं, जो लगभग 65 वर्ष हो गया है। वर्ष 1958 ई० में सोमरा पाहन को पैसे की जरूरत पड़ी तो, 200 रूपया लेकर विपक्षीगण के पिता के नाम पर सादा हुकूमनामा से बन्दोबस्त कर दिए। जबकि विपक्षी के दादा भी सिकमी रैयत थे। सोमरा पाहन का अँगुठा सादा हुकूमनामा पर है, जिस पर विपक्षी लगभग 65 वर्ष से मकान बनाकर निवास कर रहें है। यह विवाद जुलाई 2022 से शुरू हुआ, जब वर्णित भूमि पर CrPC की धारा—144 के अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची के न्यायालय में दायर हुआ, जिसका वाद सं०—598/2022 है, जो सुरज मुण्डा बनाम बालचन्द मुण्डा से संबंधित है। आगे कहते है कि यह मामला Adverse Position का है, इसलिए यह छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—71 "A" के अंतर्गत वर्णित भूमि पर यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। वर्णित भूमि आवेदक के साथ बदलेन हुआ था। यह वाद कालबाधित है। इसलिए इस वाद को खारिज किया जा सकता है। विपक्षीगण की ओर से 05 गवाह प्रस्तुत किया गया। गवाह सं०—01 बाबुलाल लोहार, पिता—धनेश्वर लोहार कहते है कि 1958 ई० धनेश्वर लोहार के पक्ष में सोमरा लोहार ने बन्दोबस्त किया है। जो लगभग 60—65 वर्ष हो चुका है। वर्णित भूमि आदिवासी खाते की है निबंधित पट्टा भी नहीं हैं, लगान रसीद भी नहीं कट रहा है तथा उपायुक्त से परमिशन भी नहीं लिया गया है। गवाह सं०—02 हरिलाल लोहरा पिता—स्व० धनेश्वर लोहार अपने शपथ पत्र में कहते है कि 1958 ई० में धनेश्वर लोहार के पक्ष में बन्दोबस्त हुआ था, वे 60—65 वर्ष से मकान बनाकर रह रहें हैं। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि अंचल रसीद सोमरा पाहन के नाम से कटा है। गवाह

M: 20/1/25

कृ०पृ०उल्टे

20|1|25

सं०–03 जीवन लाल लोहार पिता–स्व० धनेश्वर लोहार कहते है कि 1958 ई० में खतियानी के रैयत के वंशज सोमरा पाहन से भूमि को धनेश्वर लोहार ने रैयती बन्दोबस्त करवाए हैं, तथा मेरे नाम पर बिजली कनेक्शन और राशन कार्ड भी बना हुआ है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि खतियान में सोमरा पाहन का नाम दर्ज है। गवाह सं०–04 रामनाथ मिर्धा अपने शपथ पत्र में कहते है कि जमीन आदिवासी खाते की है, जिसका खाता सं०–134, प्लॉट सं०–35 एवं 36 है, पुनः अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि प्लॉट सं०–935 एवं 936 को बाबुलाल ने निबंधित पट्टा से नहीं लिया। गवाह सं०–05 भगवान दास लोहरा अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि खतियानी रैयत सोमरा पाहन हैं। इस मकान पर हम 65 वर्ष से रह रहें है। विपक्षीगण की ओर से बिजली बिल दाखिल किया गया है, जिसे X मार्क आपत्ति के साथ दर्ज किया गया है। राशन कार्ड की छायाप्रति, जिसे X 1 मार्क आपत्ति के साथ दर्ज किया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस एवं लिखित बहस दाखिल किया गया है। इसमें कहते है कि मेरे पूर्वज का खतियान में सोमरा पाहन नाम दर्ज है, जिसका वंशज मैं हूँ एवं वर्णित भूमि का उत्तराधिकारी हूँ। बिरसा पाहन के दो पुत्र टुनकुआ पाहन एवं सुखलाल पाहन को छोड़ गये। टुनकुआ पाहन नावल्द थे एवं सुखलाल पाहन अपने पीछे एक मात्र पुत्र सोमरा पाहन को छोड़ गये। सोमरा पाहन अपने पीछे तीन पुत्र बैजनाथ पाहन, बिरसा पाहन एवं बंधन पाहन को छोड़ गये। बैजनाथ पाहन अपने पीछे एकमात्र पुत्र रितु पाहन को छोड़ गये तथा बिरसा पाहन अपने पीछे रोहित पाहन एवं रंजीत पाहन को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। खतियानी रैयत बिरसा पाहन के नाम पर रसीद निर्गत हुआ। जिसे आवेदकगण कटवाते आ रहे हैं। आगे कहते हैं कि विपक्षीगण द्वारा रैयती बन्दोबस्ती कागजात जो वर्णित भूमि से संबंधित है वह जाली तथा फर्जी है एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि आवेदकगण को वापस होना चाहिए।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस एवं लिखित बहस दाखिल किया गया है। इसमें कहते हैं कि आवेदक ने बिरसा पाहन की खतियानी जमीन की खाता सं०–134 पर दावा किये हैं। बिरसा पाहन अपने पीछे टुनकुआ पाहन (नावल्द) और सुखलाल पाहन अपने पीछे सोमरा पाहन को छोड़ गये। सोमरा पाहन अपने पीछे बैजनाथ पाहन, बिरसा पाहन एवं बंधन पाहन को छोड़ गये। बैजनाथ पाहन अपने पीछे

Mi- 20|1|25

20|1|25

रितु पाहन को छोड़ गये। विपक्षीगण आगे कहते हैं कि इनके पिता धनेश्वर लोहरा ने खतियानी रैयत सोमरा पाहन ने 1958 ई० 200/–(दो सौ) रूपया लेकर सादा बन्दोबस्त किया, जिसके बाद से घर–मकान बनाकर रह रहें जो 65 वर्ष हो गया। वर्णित भूमि पर 144 धारा CrPC के अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, राँची के न्यायालय में दायर हुआ, जिसका वाद सं०–598/2022, जो सुरज मुण्डा बनाम बालचन्द मुण्डा से संबंधित है। इसके बाद ही प्रश्नगत् जमीन पर विवाद हुआ। इस जमीन का बदलेन भी हो चुका है। यह वाद तीस वर्ष बाद लाया गया है, इसलिए यह वाद चलने योग्य नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने एवं लिखित बहस तथा संलग्न कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विपक्षी के द्वारा बन्दोबस्ती से संबंधित कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है तथा न ही छप्परबंदी से संबंधित कोई भी कागजात संलग्न किया है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से विपक्षीगण (1) बाबुलाल लोहार (2) हरिलाल लोहार (3) जीवलाल सभी के पिता–स्व० धनेश्वर लोहार सभी निवासी ग्राम–महिलौंग, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची को मौजा–महिलौंग, थाना नं०–176 खाता सं०–134, प्लॉट सं०–935 एवं 936 रकबा–10 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से दखलकार, को बेदखल करते हुए, आवेदक को जमीन वापस किया जाता है, तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, नामकुम को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Mi- 20|1|25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Mi- 20|1|25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 24(ii) दिनांकः– 27|01|25

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

Mi- 27|01|25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.04.07 17:13:10 +05:30
Location: 192.168.21.39